

दिनांक 04.05.2024 को थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत बड़ागांव में एक महिला को चाकू मारने से हुई मौत में संलिप्त अभियुक्त (मृतक का पति) गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल चाकू बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 06.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर लाखीपुर बस स्टैण्ड के पास से मु0अ0सं0 178/24 धारा 498ए,34,504,302 भादवि व धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में वांछित अभियुक्त मृतक का पति मुन्तजिर मेहंदी पुत्र स्व0 सरवर निवासी बड़ागाँव पूर्वी थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद आलाकत्ल चाकू बरामद कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्तजिर मेहंदी पुत्र स्व0 सरवर निवासी बड़ागाँव पूर्वी थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद आलाकत्ल चाकू।

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ दो अन्तर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 06.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सुतरही मोड़ के पास से अभियुक्तगण जयनरायन पुत्र जवाहिर साहनी, मनोज साहनी पुत्र चन्देशर निवासीगण डीह जीबर थाना हथौड़ी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार के कब्जे से दो अदद अवैध तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस (12 बोर, 303 बोर) को बरामद कर गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/24 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. जयनरायन पुत्र जवाहिर साहनी निवासी डीह जीबर थाना हथौड़ी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।
2. मनोज साहनी पुत्र चन्देशर निवासी डीह जीबर थाना हथौड़ी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।

बरामदगी-

1. दो अदद अवैध तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस (12 बोर, 303 बोर)।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 06.05.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया जा रहा है तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया जा रहा है एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।